न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/टीए/1152/2006/चित्तौडगढ

1. नंदा पुत्र जीता
2. रामा पुत्र जीता

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम राजगढ तहसील बेंगू जिला चित्तौडगढ।

3. श्रीमती मोडी पुत्री जीता पत्नि चुन्नीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्रम चोपडा का खेडा तहसील बेंगू जिला चित्तौडगढ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. नारायण पुत्र हीरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम सारण तहसील बेंगू जिला चित्तौडगढ।
2. मु0मांगी बेवा हीरा
3. श्रीमती सोना पुत्री हीरा पत्नि होकमा जाति गुर्जर निवासी ग्रम चोसला तह0 बेंगू जिला चित्तौडगढ।
4. देवी लाल पुत्र अमरचन्द
5. भैरूलाल पुत्र अमरचन्द
6. प्रभूलाल पुत्र अमरचन्द
7. मु0 गोकली बेवा अमरचन्द (नाम तर्क)
8. मु0 हरकू बेवा अमरचन्द
9. श्रीमती लाडी पुत्री अमरचन्द पत्नि केदार जाति गुर्जर निवासी ग्रम दुगार तहसील बेंगू जिला चित्तौडगढ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बेंगू जिला चित्तौडगढ।

रेस्पो0

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थित
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलान्टस
श्री के0के0पुरोहित, अभिभाषक रेस्पोडेन्टस

निर्णय

दिनांकः 23.4.19

1. यह अपील राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय दिनांक 19–08–2004 के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पो0/ वादी ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, बेंगू के समक्ष धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित आराजी ग्राम सारण खसरा नं0 169 से 172 कुल किता4 कुल रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के दादा भोज्या के देहांत के बाद उसके वारिसान अमरचंद व हीरा काश्त करते आरहे है एवं अमरचंद के देहान्त के बाद उसके वारिसन काश्त करते चले आ रहे है प्रतिवादी जीता जिसका देहांत हो गया एवं उसके वारिसान अपीलांट है, का कभी आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 का नाम जीता की मृत्यु के बाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया इस कारण वह वादी को विवादित भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। प्रतिवादी के विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार धारा 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो गये है। प्रतिवादीगण ने जबावदावा पेश कर वाद के कथनो को अस्वीकार किया और कथन किया

कि विवादित भूमि उनकी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। विवादित भूमि उनके पिता की थी तथा उनके फौत होने के पश्चात उक्त भूमि उनके बडे पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 नंदा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया एवं वही विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने जबावदावा में यह भी कथन किया कि वादीगण ने विवादित भूमि बाबत पूर्व में एक राजस्व वाद संख्या 56/94 पेश किया जो दिनांक 28.01.2001 को अमद हाजरी व अदम पैरवी में खारीज कर दिया गया। दावा व जबाव दावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा 4 तनकियां कायत की गयी जिसमें से तनकी संख्या 4 विधि संबधी कायम की गयी। उपखण्ड अधिकारी ने तनकी संख्या 4 का निर्णय प्रतिवादी के हक में निर्णित करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28. 01.2004 से वादी का दावा निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पो0 ने एक अपील राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौडगढ के के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.8. 2004 से रेस्पो0 की अपील स्वीकार करते हुये उपखण्ड अधिकारी बेंगू का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.04 निरस्त कर अपील में लिप्त कानूनी बिन्दु से परे जाकर वादी/रेस्पो0 का दावा बार्ड बाई लॉ नहीं होना मानकर तनकी संख्या 4 पर दिया गया अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर वाद को पुनः निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस में कथन किया कि राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय रिकार्ड व नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उन्होंने यह भी कथन किया कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.04 को बदलकर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर शक्तियों का प्रयोग किया गया है। प्रकरण में आदेश 9 नियम 9 लागू हो या धारा 11 सी0पी0सी0 लागू होगी, यह साक्ष्य के आधार पर ही तय किया जा सकता है किन्तु रेस्पो0 ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की जिससे माना जावे कि आदेश 9 नियम 9 लागू नहीं होकर धारा 11 सी0पी0सी0 लागू होता है। इस प्रकार राजस्व अपील अधिकारी द्वारा साक्ष्य का विवेचन नहीं कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। विद्वान अभिभाषक अपीलांत में अपने कथन के समर्थन निम्नांकि नजीरें प्रस्तुत की जिनका अवलोकन किया :–

1. ए0आई0आर0 1961 पटना पेज संख्या 92,
2. आर0आर0टी0 2011 (supp.) पेज संख्या 489
3. ए0आई0आर0 1984 एनओसी पेज संख्या 168
4. ए0आई0आर0 2005 एनओसी पेज संख्या 231

अतः उक्त आधारों पर राजस्व अपील अधिकारी का आलौच्य निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि सबंधित पक्षकार मौके पर लबें समय से बंटवारा कर अपने अपने हिस्सों पर पृथक–पृथक काबिज काश्त चले आ रहे है। अतः वादग्रस्त भूमियों के सबंधित पक्षकारों के मध्य कब्जे काश्त के आधार पर बंटवारा किया गया। पक्षकारों के मध्य बंटवारे के लिए पूर्ण सुनवाई का मौका देते हुये कुरेजात तैयार करते समय कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुये निर्णय पारित किया गया है।

6. विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेंगू के निर्णय, न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय, उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस और पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का अवलोकन और मनन किया गया।

7. प्रकरण में राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.08.04में अंकित किया है कि उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क–वितर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय ने वाद बिन्दु 3 पर बहस सुनना निर्णय में अंकित किया है जबकि विधि संबधी वाद बिन्दु संख्या 4 पर निर्धारित है। विचारण न्यायालय ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत उभयपक्षों की बहस सुनकर वाद क्रमांक 56/94 के दिनांक 29.08.01 को अदम हाजरी में खारिज करने के आधार पर इस वाद को विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज कर दिया है। आर0बी0जे0 1996(एस0सी0) पेज 46 पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम मैसर्स नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बम्बई व अन्य के प्रकरण में निम्न मत प्रतिपादित किया है –

" Civil Procedure Code, 1908 Section 11 Exp-IV - Re-judicata - Dismissal of suit on technical ground- Decision not based on merit- Held, Res-judicata will not apply in subsequent suit."

8. उक्त अवलोकन व मनन से स्पष्ट होता है कि पक्षकारों के मध्य प्रस्तुत वाद का निर्णय पूर्व में गुणदोष के आधार पर मैरिट पर होना नहीं पाया जाता है। पूर्व वाद और पश्चावर्ती वाद में पक्षकार पृथक– पृथक है और वादहेतुक भी पृथक पृथक है। इसलिए विचारण न्यायालय ने पश्चावर्ती वाद को विधि द्वारा वर्जित मानने में त्रुटि की है। अतः राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपना निर्णय

दिनांक 19.08.04 विधिसम्मत पारित किया जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय बहाल रखा जाता है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 19.08.04 की पालना में उभयपक्ष दिनांक ..... को उपखण्ड अधिकारी, बेंगू के न्यायालय में उपस्थित होवे और उपखण्ड अधिकरी, बेंगू द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के प्रदत्त निर्णायानुसार आगामी विधिसम्मत कार्यवाही पूर्ण की जावे।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य